न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 2/2024 ई.रे.

1– सुरेन्द्रसिंह पिता हिम्मतसिंह चौहान राजपूत नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
– अपीलान्ट

बनाम

1– हमेरसिंह पिता हिम्मतसिंह चौहान राजपूत नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी
–रेस्पोन्डेन्ट्स

<u>अपील अन्तर्गतधारा 75 भू राजस्व अधिनियम</u>

// निर्णय // दिनांक :– 23/12/2024

अपीलान्ट की ओर सें प्रस्तुत अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सुथारियाखेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा बी में स्थित है जो खाता संख्या 143 की आराजी नं. 1097, 1098, 1099, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 859 कुल किता 12 रकबा 6.6900 हैक्ट. स्थित है। उक्त आराजीयात अपीलान्ट की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट के पिता हिम्मतसिंह कि मृत्यु दिनांक 13.01.1996 के बाद नामान्तरण सं. 3647 तस्दीक किया गया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा सही तरीके से जांच नहीं की और अपीलान्ट का गलत नाम गुलाबसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुरेन्द्रसिंह है जिस कारण यह अपील पेश की गई है। हिम्मतसिंह के दो पुत्र हमेरसिंह व सुरेन्द्रसिंह थे। अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुरेन्द्रसिंह पिता हिम्मतसिह चौहान राजपूत निवासी बोहेड़ा है। राजस्व रिकोर्ड में अपीलान्ट का नाम गुलाबसिंह दर्ज है। गुलाबसिंह एवं सुरेन्द्रसिंह पिता हिम्मतसिंह चौहान राजपूत नाम के दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही अपीलान्ट के ही दोनो नाम है। अपीलान्ट के सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई डी मूल निवास आदी में अपीलान्ट का नाम सुरेन्द्रसिंह ही दर्ज है।

अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्टस नं. 1 के बयान लेखबद्ध किये गये। दोनो पक्षो ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। तहसीलदार बडीसादडी से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार गुलाबसिंह व सुरेन्द्रसिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति है। प्रमाणित दस्तावेज में सुरेन्द्रसिंह नाम दर्ज है। जाकि सही है। सुरेन्द्रसिंह के पिता की मृत्यु 13.01.1996 में हो गई थी। सुरेन्द्रसिंह के पिता की मृत्यु के उपरान्त विरासत के नामान्तरण संख्या 3647 दिनांक 18.12.2004 को दर्ज हुआ जिसमें सुरेन्द्रसिह का नाम गुलाबसिह दर्ज रिकार्ड हो गया जो कि गलत नाम है।

अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 18.12.2004 को तहसीलदार बडीसादडी द्वारा जारी किये गये विरासत के नामान्तरण संख्या 3647 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बडीसादडी को आदेश किया जाता है कि वारिसान को पुनः सुनकर नव निर्णय पारित करे। निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 [illegible] कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
[illegible] कलक्टर
[illegible]सादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.02.24 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested